

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- अमरा मीणा
किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.
क्रमांक

विपक्षी :- जीवा मीणा
पत्रावली संख्या : 25/23

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर
पत्नी संख्या
मुद्रा
जारी की
तारीख

दिनांक : 08.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 24 अनुपस्थित है। आवाजे दिलवाई गई। अतः विपक्षी संख्या 1 से 24 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। विपक्षी संख्या 25 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 से 24 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन विवाद होते रहते हैं जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा पचानपुरा ए पटवार हल्का धावडीया भू.अ.नि. कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबदी सवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 3 की आराजी संख्या 100, 108, 109, 134, 141, 147, 200, 204, 206, 207, 208, 210, 266, 279, 280, 300, 301, 323, 325, 341, 363, 387, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 98, 99 कित्ता 32 रकबा 6.5600 हैक्टियर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा अदा किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

